फाइल सं. ए.12018/11/2019-कुष्ठ

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय - केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टु में कनिष्ठ श्रेणी लिपिक, समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिंनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टु में कनिष्ठ श्रेणी लिपिक, समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 401- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते है। manojkumar.upadhyay29@gov.in

मनोज 2/12/22

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061640

नई दिल्ली
दिनांक 2/12/22

[भारत के राजपत्र, भाग 2, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2022

सा.का.नि.................. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु (समूह 'ग') भर्ती नियमावली, 1980 का अधिक्रमण करते हुए, जहां तक कनिष्ठ श्रेणी लिपिक/टेलीफोन ऑपरेटर के पद का संबंध है उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में कनिष्ठ श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, कनिष्ठ श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो उक्त नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**- वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कनिष्ठ श्रेणी लिपिक	* 8 *2022- कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का स्तर -2 (19900-63200 रु.)	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
18 वर्ष से 27 वर्ष की आयु के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक की छूट) टिप्पण: आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित तारीख के अनुरूप होगी।	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समतुल्य अर्हता 2. कम्प्युटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड (प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी टंकण पर 10500 केडीपीएच/9000केडीपीएच के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट) टिप्पण 1: यदि उम्मीदवार अन्यथा सुपात्र है तो सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: : अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधी उम्मीदवारों के मामले में, यदि चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी	हां, कॉलम 10 में इंगित सीमा तक	दो वर्ष

	की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन वर्गों के पर्याप्त अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के मिलने की संभावना नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक पर इन वर्गों के अभ्यर्थियों को अनुभव से संबंधित योग्यता में छूट दे सकता है।		
भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
1. 85% एसएससी के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। 2. 10% रिक्तियां विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर, वेतन मैट्रिक्स में स्तर -1 समूह-ग स्टाफ और जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं या जिनके पास समकक्ष अर्हता है और जिन्होंने इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर ली है में से भरी जाएगी। परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 50 वर्ष) टिप्पण: खंड-2 के तहत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से यदि ऐसे कर्मचारियों की संख्या अधिक है तो परीक्षा में अर्हता प्राप्त ऐसे अधिक संख्या वाले कर्मचारियों पर अनुवर्ती वर्षों में रिक्त होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पहले परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों पर बाद की	जैसा कि स्तंभ 10 में बताया गया है।	I. समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: 1. अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु- अध्यक्ष; 2. उप-निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य; 3. सहायक निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य; 4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य। II. समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: 1. अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - अध्यक्ष; 2. उप-निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य; 3. सहायक निदेशक, केन्द्रीय	लागू नहीं होता ।

परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों से पहले विचार किया जाए। 3. 5% रिक्तियां समूह-ग ऐसे कर्मचारियों में से वरिष्ठता एवं स्वस्थता के आधार पर भरी जाएगी जिन्होंने वेतन स्तर -1 के पदों पर 3 वर्ष की नियमित सेवा की है।		कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य; 4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य।	

[फा.सं. ए-12018/42/2019-कुष्ठ]

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार